FORM NO.11

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रभातराम वगै0 बनाम मालीराम

किस्म मुकदमा:– दावा अ.धा. 88, 53 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर:– 13/ / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.10.2021	वादीगण की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी बाबत सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय [illegible] / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 23.11.2021 को पेश हो। 28/10/21 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
23.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– लिसाड़िया में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने मय पक्षकारान् के उपस्थित होकर पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पचायंत– लिसाड़िया में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण नं. 1 ता 3 की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण के द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की पहचान श्री रिछपाल बाजिया एडवोकेट प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद त[illegible] शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण एवं उपस्थित पक्षकारान् [illegible] में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। जिससे वकील प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति प्रदान की। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण	वादीगणों की पहिचान ... (कमल कुमार शर्मा एडवोकेट) प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की पहिचान 23.11.2021 रिछपाल बाजीया (एडवोकेट)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:34:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रभातराम बनाम भालीराम वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं.- 131/2021
	द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र लोक अदालत की भावना से बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को ग्राम पंचायत– लिसाड़िया में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

23/11/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– लिसाड़िया

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

कैम्पः– लिसाडिया

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
131 / 2021	2021 / 296	29.10.2021	23.11.2021

उनवान प्रकरण

1. प्रभातराम पुत्र स्व. नाथूराम आयु 70 वर्ष
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम आयु 55 वर्ष
3. सुरजमल पुत्र स्व. नाथूराम आयु 50 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

वादीगण

बनाम्

1. मालीराम पुत्र स्व. नाथूराम आयु 65 वर्ष
2. साधूराम पुत्र स्व. नाथूराम आयु 62 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासीगण करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रिछपाल बाजिया, एडवोकेट प्रतिवादीगण अभिभाषक नं. 1 व 2
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधो[illegible]वादी नं. 3

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत [illegible] अन्तर्गत

धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिलीप सिंह
23/11/21
उपखण्ड अधि.

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1318, 1319/1, 1319/2 कुल किता 3 रकबा 2.13 हैक्टर जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1320/1, 1320/2, 1323/1, 1323/2 कुल किता 4 रकबा 1.99 हैक्टर जिसकी खातेदारी हिस्सा 1/2 की वादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1322 रकबा 2.91 हैक्टर जिसकी खातेदारी हिस्सा 175/582 की वादी संख्या 1 के नाम व हिस्सा 175/582 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1325 रकबा 3.65 हैक्टर जिसकी 7/36 की खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1316/1, 1316/2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हैक्टर जिसके हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी संख्या 1 व 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं। वादीगण ग्राम लिसाड़िया में निवास करते हैं व प्रतिवादीगण ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में निवास करते हैं वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त कुटुम्ब की कृषि भूमियां ग्राम करीरी व ग्राम लिसाड़िया में स्थित हैं जो सभी भाईयों की संयुक्त हिन्दू परिवार की पारिवारिक कृषि भूमियां हैं। उक्त दोनो जगहो की समस्त कृषि भूमियों बाबत् पारिवारिक बाहमी बंटवारा अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ हैं। उक्त समझौता अनुसार ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमियां वर्तमान खतोनी संख्या 919, 172, 392, 93, 269, 478, 998 को समस्त वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण के हक हिस्से में तन्हा रूप से आया हुआ है। तथा वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 5 में वर्णित भूमियां [illegible] नम्बर 1 ता 2 के नाम दर्ज सम्पूर्ण स्सिा वादीगण के हक हिस्से [illegible] आया हुआ हैं। उक्त बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि जो सभी पक्षकारान के नाम दर्ज है में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

आधा हिस्सा वादी संख्या 2 जगदीश के एंव आधा हिस्सा वादी संख्या 3 सुरजमल के हक हिस्से में आया हुआ है तथा वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमियो में वादी संख्या 3 सुरजमल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 जगदीश के हक हिस्से में आया हुआ है व वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 प्रभात के नाम दर्ज हिस्सा 175/582 व प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम के नाम दर्ज हिस्सा 175/582 उक्त दोनो हिस्से वादी संख्या 1 प्रभात के हिस्से में आये हुये है तथा वादपत्र की मद नम्बर 4 में वर्णित भूमि में हिस्सा 7/36 जो वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है वह सम्पूर्ण हिस्सा वादी संख्या 1 प्रभात के हक हिस्से में आया हुआ है एंव वादपत्र की मद नम्बर 5 में वर्णित भूमि मे वादी संख्या 1 प्रभात के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या मालीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में कुल 1/2 हिस्सा वादी संख्या 3 सुरजमल के हक हिस्से में आया हुआ है। इसी अनुसार पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी भूमियों पर तन्हा रूप से समझौते बाहमी के समय से पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे हैं इसी अनुसार वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हो चुके हैं। उपरोक्तानुसार खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुविधाओ से भी वादीगण को वंचित रहना पड़ता है। इस कारण भी वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी उपरोक्तानुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के आपस में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चले आ रहे है। इस कारण वादीगण के कब्जे, काश्त में प्रतिवादीगण के द्वारा कभी कोई मजाहमत व चाराजोही नही की गयी हैं। इस कारण वादीगण द्वारा पूर्व में कोई कार्यवाही नही की गयी परन्तु अब जमीनो की बढ़ती हुयी कीमतो व वर्तमान मौजूद समय में चल रहे मनमुटाव के कारण वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करना आवश्यक समझते हैं। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा आनाकानी की जा रही है। इसी कारण वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न ...ण घोषणा इस आशय की फरमायी जाकर डिक्री ... की पक्षकारान के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारा के अनुसार ग्राम ... जिला सीकर (राज0) में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1318, 1319/1, 1319/2 कुल ...3 रकबा 2.13 हैक्टर जो सभी पक्षकारान के नाम दर्ज है में आधा हिस्सा वादी संख्या 2 ...दीश को एंव आधा हिस्सा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, ...

संख्या 3 सुरजमल को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 एंव वादी संख्या 1 का नाम हजफ फरमाया जावे तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1320/1, 1320/2, 1323/1, 1323/2 कुल किता 4 रकबा 1.99 हैक्टर में वादी संख्या 3 सुरजमल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 2 जगदीश को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त 1/2 हिस्से से वादी संख्या 3 सुरजमल का नाम हजफ फरमाया जावे एव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1322 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी संख्या 1 प्रभात के नाम दर्ज हिस्सा 175/582 व प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम के नाम दर्ज हिस्सा 175/582 उक्त दोनो हिस्से का वादी संख्या 1 प्रभात को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 1325 रकबा 3.65 हैक्टर में हिस्सा 7/36 जो वादी संख्या 2 जगदीश के नाम दर्ज है वह सम्पूर्ण हिस्सा वादी [redacted]ख्या 1 प्रभात को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी संख्या 2 का नाम हजफ फरमाया जावे एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1316/1, 1316/2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हैक्टर भूमि मे वादी संख्या 1 प्रभात के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में कुल 1/2 हिस्सा वादी संख्या 3 सुरजमल को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 एंव प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी अंकित किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत–लिसाड़िया में वादीगण संख्या 1 ता 3 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 स्वंय उपस्थित आये। जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित पक्षकारान् की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट [redacted]दीगण के द्वारा एंव प्रतिवादीगण सं[illegible] पाल बाजिया एडवोकेट प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। उपस्थित [illegible] को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन [illegible] की भावना से राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक श[illegible] पत्रावली किया गया। प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] उपखण्ड अधिकारी

राजीनामा में उपस्थित प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने बाबत अपनी–अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। इस बाबत उपस्थित सभी वादीगण व प्रतिवादीगण ने भी सहमति बतौर आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये है। वादी साक्ष्य में वादी प्रभातराम पुत्र नाथूराम अहीर का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति व्यक्त की। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में दौराने शिविर ही ग्राम पंचायत–लिसाड़िया के मजमे–ए–आम में ही बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने पक्षकारान् [illegible]दीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना जाहिर किया। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण एंव उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया एंव वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 कुल पॉच जमाबन्दियों में वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस बाबत ग्राम पंचायत लिसाड़िया के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर वादीगण संख्या 1 ता 3 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश कर मजमें–ए–आम में तस्दीक कराया गया है एंव वादी साक्ष्य में वादी [illegible]ातराम ने भी इस बाबत मुख्य परीक्षण [illegible] जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। वादीगण व [illegible] भाई है। जिनमें वादीगण ग्राम लिसाड़िया में निवास करते है तथा प्रति[illegible] तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थाई रूप से निवास करते है। उक्त भूमियॉ वादीगण व [illegible]वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी [illegible]माधोपुर

की संयुक्त कुटुम्ब की सभी भाईयों की संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमियॉ ग्राम करीरी व ग्राम लिसाड़िया में स्थित होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों का बाह्मी बंटवारा अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व हो जाने तथा वादीगण के ग्राम लिसाड़िया में जमीन आने तथा प्रतिवादीगण के ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा में जमीन आना प्रकट होता है। उक्त बाह्मी बंटवारा अनुसार वादीगण ने ग्राम करीरी की कृषि भूमियों से समझौता अनुसार अपना नाम हटवा लिया है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के ग्राम लिसाड़िया में आई कृषि भूमियों से अपना नाम हटवाने हेतु राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिया है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमियॉ होना प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के पैत्रक भूमियॉ होने से एंव उपस्थित पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से एंव मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा लोक अदालत की भावना से की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1318, 1319/1, 1319/2 कुल किता 3 रकबा 2.13 हैक्टर जो सभी पक्षकारान के नाम दर्ज है में से आधा हिस्सा का वादी संख्या 2 जगदीश को एंव आधा हिस्सा का वादी संख्या 3 सुरजमल को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियो से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 एंव वादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1320/1, 1320/2, 1323/1, 1323/2 कुल किता 4 रकबा 1.99 हैक्टर में वादी संख्या 3 सुरजमल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 2 जगदीश को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/2 हिस्से से वादी संख्या 3 सुरजमल का नाम हजफ किया जाता है एंव कृषि भू[illegible] नम्बर 1322 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी संख्या 1 प्रभात के नाम दर्ज हिस्सा [illegible]/582 व [illegible] संख्या 1 मालीराम के नाम दर्ज हिस्सा 175/582 उक्त दोनो हिस्से का वादी संख्या 1 प्रभात को काबिज खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह 25/11/21
उपखण्ड अधिकारी ... श्रीमाधोपुर

घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1325 रकबा 3.65 हैक्टर में हिस्सा 7/36 जो वादी संख्या 2 जगदीश के नाम दर्ज है वह सम्पूर्ण हिस्सा का वादी संख्या 1 प्रभात को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 2 का नाम हज़फ किया जाता है एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1316/1, 1316/2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हैक्टर भूमि मे वादी संख्या 1 प्रभात के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में कुल 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 3 सुरजमल को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1 एंव प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व प्रवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो। .

23/11/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः—लिसाड़िया

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— लिसाड़िया के मजमे—ए—आम में सुनाया गया। .

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:52 IST
Reason: SelfAttested

23/11/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— लिसाड़िया

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर